बिहार सरकार
समाहरणालय, नवादा
नवादा–805110
(जिला राजस्व शाखा)

दूरभाश 06324–212253 (कार्या0)
–212240 (आवा0)
–212904 (फैक्स)
Email: dm-nawadah.bih@nic.in

आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नवादा जिलान्तर्गत महसई गरू पर्व मेला की बन्दोवस्ती वित्तिय वर्ष 2015–2016 के लिए करने हेतु खुली डाक दिनांक 07.09.2015 को 11:00 बजे पूर्वाहन में जिला स्तर पर की जायेगी। यदि किसी कारण वश उक्त निर्धारित तिथी को बन्दोवस्ती नही होती है, तो क्रमशः दिनांक 08.09.2015 एवं 09.09.2015 को पूर्व निर्धारित समय पर खुली डाक द्वारा बन्दोवस्ती की जायेगी।

सैरात का पूर्ण विवरण निम्न प्रकार है:–

क0 सं0	सैरात का नाम	अंचल का नाम	प्रस्तावित सुरक्षित जमा की राशि	डाक का स्थान	अभ्यु 0
1	महसई गुरू पर्व मेला रजौली	रजौली	3,66,275.00	समाहरणालय , नवादा।	

बंदोवस्ती की शर्तें निम्न प्रकार है :–

1. डाकवक्ता को निर्धारित सुरक्षित जमा की राशि का 10 प्रतिशत डाक में भाग हेतु अग्रधन (जमानत की राशि) के रूप में जमा करना होगा ।
2. बंदोवस्ती खुली डाक की पद्धति से की जायेगी ।
3. उच्चतम डाक की बोली बोलकर डाक नहीं लेने वाले व्यक्ति की जमानत की राशि जप्त कर ली जायेगी ।
4. बंदोवस्ती होने की स्थिति में उच्चतम डाकवक्ता को उच्चतम डाक की सम्पूर्ण राशि एक मुस्त में जमा करनी होगी।अन्यथा उनके साथ बन्दोवस्ती नही की जायेगी।
5. मेला में टॉल की वसूली सरकारी नियमों के अनुकूल ही करनी होगी ।
6. अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताये बंदोवस्ती को स्थगित करने, बंदोवस्ती की तिथि बढ़ाने, बंदोवस्ती को निलंबित करने अथवा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा ।
7. उच्चतम डाकवक्ता को परवाना निर्गत करने के पूर्व एकरारनामा का निबंधन अपने व्यय पर कराना आवश्यक होगा ।
8. पूर्व के वर्षों में जिस व्यक्ति के नाम से बंदोवस्ती हुई है और यदि उनके पास कोई भी राशि बकाया रह गयी हो तो वैसी स्थिति में उस व्यक्ति को डाक में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा ।
9. डाक वक्ता को अंचल अधिकारी, द्वारा निर्गत आचरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
10. यह विवरणी www.prdbihar.org.in एवं www.nawada.bih.nic.in पर देखी जा सकती है

26/8/15

समाहर्त्ता,
नवादा।

ज्ञापांक 848 / रा0दिनांक 26/8/2015

प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, नवादा/ सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, /स अंचल अधिकारी, नवादा जिला अनुमंडल पदाधिकारी, नवादा सदर/रजौली/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, नवादा सदर/रजौली को सूचनार्थ एवं अपने स्तर से व्यापक प्रचार प्रसार करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अंचल अधिकारी, रजौली को सूचनार्थ एवं अपने स्तर से व्यापक प्रचार प्रसार करने हेतु अलग से प्रेषित। निदेश है, कि विगत वर्ष के बन्दोवस्तकार को भी सूचना का तामिला उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

प्रतिलिपिः– जिला सहकारिता पदाधिकारी, नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– IT Manager N.I.C NAWADA को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला नजारत उप समाहर्त्ता, नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

समाहर्त्ता,
नवादा।